

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक एफ2(6579)सूप्रौ/संस्था/15/53844/2016

जयपुर, दिनांक : 19/7/16

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित शैक्षणिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र. स.	नाम	पदस्थापित विभाग का नाम	शिक्षण संस्था/यूनिवर्सिटी	परीक्षा का नाम	अध्ययन का प्रकार
1.	श्री गानु प्रताप सिंह राठौड़	कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पाली	Vardhman Mahaveer Open University, Kota	M.Sc. (Computer Sci.)	पत्राचार
2.	श्री दिनेश कुमार मीणा	कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवदासपुरा जयपुर	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A	पत्राचार
3.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	कार्यालय (उपनिदेशक)एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग पाली	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A 2nd Year	पत्राचार
4.	सुश्री दीपिका मेहरा	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय कोटा	Vardhman Mahaveer Open University, Kota	M.Sc. 2nd Year (Computer Sci.)	पत्राचार
5.	श्री दिनेश कुमार	कार्यालय (उपनिदेशक)एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, पं.सं. वैर, जिला-मरवापुर	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A	पत्राचार
6.	श्री दीपक सोनी	कार्यालय नोडल ऑफिसर, मेडिकल कॉलेज डूंग वेयरहाउस र.ना.टै. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर	Academy of Kanishka Computers, Udaipur	DOEACC 'A' LEVEL	पत्राचार

उक्त शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अग्र्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

— Sd —
(ए.एम. देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष।
2. संबंधित कर्मचारी।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभाषी अधिकारी वेबसाइट।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव